



258

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

24258-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक

/2015 जिला जबलपुर

बसोरीलाल बरकडे (गौंड) पिता श्री मानसिंह बरकडे

निवासी ग्राम टिकरिया, तहसील निवास

जिला मण्डला म0प्र0

----- आवेदक

विरुद्ध

1- श्री अरुण कुमार राय पिता स्व. श्री शोभाराम राय

निवासी ग्राम सालीवाड़ा तहसील व

जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक

131/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-11-16

के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत
निगरानी ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कुकरीखेड़ा प.ह.नं. 52/79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. 9/1, 9/2, 49/2, 60, 169/4, 92, 43/2, 164/2, 27/2 रकबा क्रमशः 0.30, 0.42,

[Handwritten signature]

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ^{निग.} 4258-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-12-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 131/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25-11-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक बसोरीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक बसोरीलाल द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कुकरीखेड़ा प.ह.नं. 52/79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 9/1, 9/2, 49/2, 60, 169/4, 92, 43/2, 164/2, 27/2 रकबा कमशः 0.30, 0.42, 0.27, 0.20, 100, 0.36, 0.46, 0.40 एवं 0.30 कुल रकबा 3.71 को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर द्वारा मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि</p>	





स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि भूमि निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमतें भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना है। यह भी आधार लिया गया है कि वर्ष 2016 में आवेदक का नाम आवेदित भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है और वर्ष 2016 में ही भूमि विक्रय किए जाने का अनुबंध किया गया है। कलेक्टर का भूमि की कीमत भविष्य में बढ़ने संबंधी उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित हो सकता है किंतु न्यायिक एवं विधिक दृष्टि से उनका निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि संहिता में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना हो तो उसके विक्रय की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा भूमि पर नाम दर्ज होने के उपरांत तत्काल बाद भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि यूको बैंक बरेला का कर्ज चुकाने हेतु विक्रय की जा रही है। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक द्वारा कय की गई भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कय की गई है। भूमि विक्रय हेतु आवेदक पर कोई दबाव नहीं है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि यूको बैंक बरेला का कर्ज चुकाने हेतु विक्रय की जा रही है। आवेदित भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 4.49 हैक्टर भूमि ग्राम हिनौतिया में शेष बच रही है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है और जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय</p>	


1/18

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 4258-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p style="text-align: right;">R/16</p>	<p>की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण कलेक्टर, जबलपुर का आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25-11-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कुकरीखेड़ा प.ह.नं. 52/79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 9/1, 9/2, 49/2, 60, 169/4, 92, 43/2, 164/2, 27/2 रकबा क्रमशः 0.30, 0.42, 0.27, 0.20, 1.00, 0.36, 0.46, 0.40 एवं 0.30 कुल रकबा 3.71 को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । <p>पक्षकार सूचित हों ।</p>	<p style="text-align: center;">  (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर </p>